चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर–2

प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : मण्डी परिषद सभा कक्ष, गोमती नगर, लखनऊ **दिनांक : सितम्बर, 03, 2001**

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थितिः

1.	डा0 एस0 बी0 सिंह कुलपति,	अध्यक्ष
2.	डा0 नसीम जैदी, सचिव, कृषि	सदस्य
3.	श्री चन्द्रमा प्रसाद, विशेष सचिव वित्त,	सदस्य
4.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
5.	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद,	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
7.	श्री अमर सिंह,	सदस्य
8.	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत	सदस्य
9	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
10.	डा0 ए0 के0 सिंह, निदेशक, पशुपालन	सदस्य
11.	श्री आर0 के0 दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थितिः

1.	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
2.	निदेशक कृषि	सदस्य
3.	डा0 हरी कृष्ण सक्सेना,	सदस्य
4.	डा0 आर0 सी0 माहेश्वरी, सहायक महानिदेशक, (सी0एस0सी0) आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली	सदस्य

मद संख्या 1 :

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 6.6.2001 को सम्पन्न हुई 114वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने 114वीं बैठक जो दिनांक 6.6.2001को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्याः 2

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 114वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 6.6.2001 को सम्पन्न हुई 114वीं बैठक के लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया और निम्न निर्णय लिए :

1. शिक्षकों / वैज्ञानिकों आदि की सम्बद्धता सम्बन्धी प्रकरण पर प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

2. श्री अनुरुद्ध दुबे के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति से जो राय प्राप्त हुई है उस सम्बन्ध में श्री अनुरुद्ध दुबे द्वारा दिया गया प्रत्यावेदन प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लेते हुये यह निर्णय लिया कि महामहिम कुलाधिपति के अतिरिक्त विधि परामर्शी को यह प्रत्यावेदन प्रेषित करते हुए पुनः राय प्राप्त की जाय ।

मद संख्याः 3

विज्ञापन संख्या 1/2001 द्वारा विज्ञापित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र एवं गृह विज्ञान संकाय के पदों पर हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के बन्द लिफाफे खोलकर नियुक्तियों के अनुमोदन हेतु विचार का प्रस्ताव।

कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा गृह विज्ञान के पदों पर साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के बन्द लिफाफे आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्याः 4

कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत अर्ह शिक्षकों/वैज्ञानिकों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों की संस्तुति के बन्द लिफाफे खोलकर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने कैरियर एंडवास स्कीम के अर्न्तगत चयन समितियों के बन्द लिफाफों को खोलकर निम्नलिखित शिक्षकों को उनके सम्मुख उल्लिखित पदनाम तथा वेतनमान दिये जाने का अनुमोदन किया ।

क्रम सं0	शिक्षक का नाम	विभाग	वर्तमान पद / वेतन मान	कैरियर एडवान्समेंन्ट स्कीम के अर्न्तगत स्वीकृत पदनाम / वेतनमान
1.	Dr.S.K.Garg	Veterinary Pharmacology and Toxicology	Associate Professor/ equivalent	Professor/ equivalent
2.	Dr.N.C.Pandey	Horticulture	Associate Professor/ equivalent	Professor/ equivalent
3.	Dr. P.N.Yadav	Soil Conservation & Water Management	Assistant Professor/ equivalent	Associate Professor / equivalent
4.	Dr. Ashok Kumar Singh	Agril. Extension	Assistant Professor/ equivalent	Associate Professor / equivalent
5.	Dr. A.K.Chauhan	Agril. Extension	Assistant Professor/ equivalent	Associate Professor / equivalent
6.	Dr.S.S.Yadav	Horticulture	Subject to approval of ICAR the post will be rewarded.	

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी संज्ञान में लिया कि निम्नलिखित विभागों में कैरियर एडवांस स्कीम के अर्न्तगत हुये साक्षात्कार में कोई भी शिक्षक योग्य नहीं पाया गया ।

1. Veterinary Surgery & Radiology (Assoc. Professor to Professor)
2. Veterinary Biochemistry (Assoc. Professor to Professor)
3. Soil Conservation and Water Management (Assoc. Professor to Professor)
4. Dairy & Animal Husbandry (Assoc. Professor to Professor)
5. Agril. Extension, (Assoc. Professor to Professor)
6. Dairy & Animal Husbandry (Asstt. Professor to Assoc. Professor)

मदसंख्याः 5(अ)

दिनांक 6.6.81 से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा कृषि सेवा वर्ग 2 व वर्ग 3 के पदों पर नियुक्त शोध सहायकों को यू0जी0सी0 वेतनमान रू0 2200—4000 (8000—13500 पुनरीक्षित) शासनादेश दिनांक 26.1.97 के सापेक्ष दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने जो याचीगण नहीं थे उन्हें भी पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाना सैद्धान्तिक रूप से उचित माना । चूँकि यह प्रकरण शासन को संदर्भित है अतः निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा इसे यथाशीघ्र निस्तारित किया जाय ।

मदसंख्याः 5(ब)

कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की सेवा में संविलीन श्रेणी एक के उन शिक्षकों की भांति जो याची थे तथा जिन्हें नोशनल गणना के आधार पर दिनांक 1.1.73 से वेतन निर्धारण का लाभ शासन द्वारा अनुमन्य कराया गया की भांति, उन श्रेणी एक के संविलीन हुए शिक्षकों को भी जो याची नही थे, को भी रू0 1500—2500 के यू0जी0सी0 वेतनमान में नोशनल गणना के आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने जो याचीगण नहीं थे उन्हें भी पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाना सैद्धान्तिक रूप से उचित माना । चूँकि यह प्रकरण शासन को संदर्भित है अतः निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा इसे यथाशीघ्र निस्तारित किया जाय ।

मदसंख्याः 6

डा0 जे0पी0 यादव, निदेशक प्रसार के विरूद्ध शासन द्वारा की गयी जॉच में दोषी पाये जाने पर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 17.5.2001 पर निर्णय हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि वैज्ञानिक कृषक आदान प्रदान योजना में रू0 92.98 लाख का अनुदान डा0 जे0 पी0 यादव, निदेशक प्रसार के अक्षम प्रबन्धन के कारण तीन वर्ष के उपरान्त भी अप्रयुक्त रहा। इसी प्रकार कृषक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1998—99 में स्वीकृत रू0 81.49 लाख की धनराशि का उपयोग समय से नहीं हुआ । अतः निर्णय लिया गया कि इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय कि क्यों न इस अक्षमता के लिए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य दो अधिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। यह प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्याः 7

श्रीमती अमिता गुप्ता, सह–प्रशिक्षक, एन0ए0आर0पी0 कलाई अलीगढ़ द्वारा माँगा गया बिना वेतन का अध्ययन अवकाश (दिनांक 31.7.2001 से 30.7.2002) तक स्वीकृत किये जाने सम्बन्ध प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया ।

मद संख्याः 8

विश्वविद्यालय में छात्र / छात्राओं की शुल्क बृद्धि पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने वर्ष 2001–2002 में प्रवेश पाये छात्र – छात्राओं से निम्न मदों में शुल्क बृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

क0 सं0	मद	**स्नातक**		परास्नातक		पी– एच0 डी0	
		वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
1.	प्रवेश शुल्क	50.00	200.00	50.00	200.00	50.00	200.00
2.	मेडिकल परीक्षण	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00
3.	परिचय पत्र	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00
4.	ट्यूशन फीस	1250.00	1500.00	1500.00	1800.00	1500.00	1800.00
5.	परीक्षा शुल्क	150.00	200.00	150.00	250.00	150.00	250.00
6.	थीसिस इवेलुएशन	–	–	250.00	500.00	500.00	1000.00

मेडिकल परीक्षण शुल्क रु0 50.00
रु0 40.00 डाक्टर
रु0 10.00 विश्वविद्यालय

मद संख्या 9:

प्रबन्ध मण्डल की 114वीं बैठक दिनांक 6.6.2001 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में योगदान प्रस्तुत करने हेतु निर्गत आदेश दिनांक 15.6.2001 का श्री बी0एल0 त्रिपाठी, श्री पी0के0 बिसारिया, श्री लाल मणि द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप, उत्पन्न स्थिति पर विचार।

श्री बी0एल0 त्रिपाठी, श्री पी0के0 बिसारिया, श्री लाल मणि का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय हित में कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में दिनांक 3.10.2000 को किया गया था। इन लोगों ने अभी तक अपनी योगदान आख्या कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में प्रस्तुत नही किया है । इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल में विस्तार से विचार विमर्श हुआ एवं प्रबन्ध मण्डल ने पाया कि सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रबन्ध मण्डल की 114वीं बैठक जो दिनांक 6.6.2001 को हुई में इनके प्रत्यावेदन पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया था और प्रबन्ध मण्डल ने इनके प्रत्यावेदनों को निरस्त करते हुये निर्णय लिया था कि तीनों प्रत्यावेदक कुलपति के आदेश दिनांक 3.10.2000 के अनुसार कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करें । इस सम्बन्ध में 18.6.2001 तथा 20.6.2001 को समाचार पत्रों में सूचना भी प्रकाशित की गयी थी कि वह शीघ्र योगदान प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायगा कि वह विश्वविद्यालय में सेवा करने के इच्छुक नहीं है । इस सूचना के प्रकाशन के बाद भी इन अधिकारियों द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण न करना गम्भीर कदाचार (Misconduct) तथा सक्षम अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना (Disobedience) है । अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि तीनों अधिकारियों, श्री बी0एल0 त्रिपाठी, श्री पी0के0 बिसारिया, एवं श्री लाल मणि के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

प्रबन्ध मण्डल ने अनुशासनिक कार्यवाही के अर्न्तगत आरोप पत्र निर्गत करके आरोपों के जॉच हेतु डा0 एच0एन0 सिंह, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को जॉच अधिकारी नियुक्त किया। जॉच अधिकारी, तीनों अधिकारियों को अलग–अलग आरोप पत्र देकर जॉच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर अपनी जॉच आख्या प्रस्तुत करेंगें जिस पर निर्णय आगामी बैठक में लिया जायगा ।

मदसंख्या 10 :

श्री टी0सी0 मिश्र, शोध अभियन्ता, डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा द्वारा विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना एवं उनके द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता तथा पिछले वर्षो में विश्वविद्यालय का कोई कार्य सम्पादित न करने के प्रकरण पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर विचार।

श्री टी0सी0 मिश्र शोध अभियन्ता को विश्वविद्यालय के आदेश संख्या सीएसयूई –1227/2000 दिनांक 31 सितम्बर 2000 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में कार्यभार ग्रहण करने एवं उस परिसर में स्थित एडंवास रिसर्च एवं ट्रेंनिग सेन्टर के कार्यो को कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सम्पादित करने हेतु तात्कालिक प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया था। इन्हे वहॉ पर रहने हेतु आवास संख्या 6 (टाइप 5) भी आवंटित किया गया था।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण पर निम्न को संज्ञान में लिया :

श्री टी0 सी0 मिश्र ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.10.2000 को अपनी योगदान आख्या डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में प्रस्तुत की । श्री टी0 सी0 मिश्र ने अपने पारिवारिक कारणों से 4 माह तक कानपुर स्थित आवास में रहने की अनुमति मॉगी थी जिसे प्रदान कर दिया गया था । लेकिन इसके उपरान्त भी वह इटावा नहीं गये और 11.1.2001 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया कि जब तक यू0जी0सी0 वेतनमान स्वीकृत न किया जाय मुझे इटावा विस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

विश्वविद्यालय द्वारा श्री टी0 सी0 मिश्र को 22.3.2001 को यह आदेश दिये गये थे कि उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सभी कार्यो का स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत नव नियुक्त अधिष्ठाता, डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के निर्देशानुसार करेगें एवं पत्राचार उनके माध्यम से करेंगें । श्री टी0 सी0 मिश्र को यह भी निर्देश दिये गये थे कि इटावा महाविद्यालय में कार्यरत अन्य सभी अधिकारियों की भॉति उपलब्ध उपस्थित पंजिका में अपना हस्ताक्षर करेंगें जिससे उनके वेतन इत्यादि का आहरण समयानुसार अधिष्ठाता, इटावा द्वारा सुनिश्चित किया जा सके । अधिष्ठाता ने इन्हें स्वप्रमाणित उपस्थित प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु भी पत्र लिखा ताकि इनका वेतन आहरण हो सके । इन स्पष्ट ओदेशों की भी अवहेलना करते हुए श्री टी0 सी0 मिश्र उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं जबकि अधिष्ठाता तथा अन्य शैक्षिक गण हस्ताक्षर कर रहे हैं । श्री टी0 सी0 मिश्र एडंवास रिसर्च एवं ट्रेंनिग

सेन्टर में भी कार्य नहीं कर रहे हैं जबकि उनको अधिष्ठाता द्वारा कर्मचारियों के साथ–साथ अपेक्षित सामग्री भी उपलब्ध कराई गयी है । श्री टी0 सी0 मिश्र ने 10 माह के अन्तराल में न तो कोई परियोजना प्रस्तुत की है और न ही कोई ट्रेंनिग प्रोग्राम अभी तक आयोजित किया है । इनके द्वारा कोई शोध कार्य भी नहीं किया गया है। इससे पूर्व के वर्षों में भी इन्होंने किसी विषय पर न तो कोई शोध कार्य न हि कोई परियोजना क्रियान्वित की।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री टी0 सी0 मिश्र के उपरोक्त कार्यकलापों पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया कि श्री टी0सी0 मिश्र द्वारा गम्भीर कदाचार (Misconduct) एवं सक्षम अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना (Disobedience) की जा रही है। अतः श्री टी0 सी0 मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री टी0 सी0 मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उन्हें आरोप पत्र देकर डा0 के0 डी0 उपाध्याय, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, को आरोपों की जॉच हेतु, जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिए कि जॉच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जॉच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या 11:

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वर्ष 2000–2001 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 2001–2002 के अनुमानित आय–व्ययक पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने बजट परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 29.8.2001 को संम्पन्न हुई बैठक में संस्तुति किये गये आय व्ययक पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 12:

विश्वविद्यालय के शिक्षण / प्रशासनिक कार्यो के प्रभावी नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय कार्यरत ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के प्राधिकार प्रबन्ध मण्डल में निहित हैं के निलम्बन किये जाने, आरोप पत्र दिये जाने तथा जॉच आदि कराये जाने के अधिकार कुलपति को प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि अधिनियमों (Act) के अनुसार परिनियमों (Statutes) में भी व्यवस्था होनी चाहिए। अतः परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28(आर)–3 जी के प्रावधान "The appointing authority can suspend an employee if he is considered to be guilty of any

conduct requiring enquiry." के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति महोदय को अग्रसारित किया जाय ।

In any emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor (Kulpati), requires immediate action to be taken he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity report the action taken to the Board of Management.

मद संख्या 13:

चन्द्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति तथा शोध एवं प्रसार प्रगति पर आख्या ।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, शोध प्रगति एवं प्रसार प्रगति को संज्ञान में लिया तथा संतोष प्रकट किया।

मद संख्या 14:

विश्व खाद्य संगठन, रोम द्वारा वित्त पोषित "एन एप्रेजल आफ प्रौफिटेविलिटी एण्ड ससटेनेविलिटी आफ पेरी अरवन फार्म इन्टरप्राइजेज एण्ड रिलटेड टेक्नालोजीज इन कानपुर, उत्तर प्रदेश, इण्डिया" योजना को विश्वविद्यालय में संचालन हेतु अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने योजना को विश्वविद्यालय में संचालन हेतु अनुमोदित किया तथा एम0 ओ0 यू0 पर सहमति देते हुए इस कार्य की सराहना किया।

मद संख्या 15:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

मद संख्या 15(अ):

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 6.6.2001 में लिये गये निर्णय के अनुसार डा0 मोती सिंह के विरुद्ध की गयी जॉच पर विस्तृत आख्या।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 मोती सिंह के विरुद्ध कुलपति की आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि डा0 मोती सिंह के दिनांक 1.5.94 से 31.5.96 तक उद्यान विभाग में अनुपस्थिति रहने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियत्रंक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल